HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2574/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 1930/2024

Gopal S/o Shri Geetam, Aged About 24 Years, R/o Village Nagla Devia, Police Station Roopwas, District Bharatpur (Rajasthan). (Currently Appellant Is Lodged In Central Jail At Sewar, Bharatpur).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Victim, Aged About 27 Years, R/o

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Tara Chand Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

19/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **गोपाल** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, संख्या–2, भरतपुर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**50/2023 राजस्थान राज्य** बनाम **गोपाल** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.07.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को अधिकतम 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 25.03.2022 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह प्रकरण में लगभग 04 वर्ष का कारावास भुगत चुका है। प्रकरण में गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, गवाहान ने अपने कथनों में विस्तार किया है, अभियोजन की ओर से कड़ीबद्ध साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का सही ढंग से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपील में अपीलार्थी/अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते तर्क दिया कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध स्पष्ट साक्ष्य रही है, पीड़िता अपाहिज है, डी0एन0ए0 रिपोर्ट भी अभियुक्त के विरूद्ध रही है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य 10 आपराधिक प्रकरण भी लंबित हैं, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, विचारण न्यायालय के समक्ष हुए राजकुमारी के बयान पी0ड01, चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी डॉ0 मेघा गर्ग पी0डब्ल्यू–5 एवं डॉ0 मनीष कुमार मीणा पी0ड06 के बयान, डीएनए रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह

सजा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना इस प्रक्रम पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त **गोपाल पुत्र श्री गीतम** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 430 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /55